

मुख्तारी (प्रॉक्सी) फार्म
 (शेयरधारक द्वारा भरा व हस्ताक्षर किया जाना है)

पंजीकृत फोलियो सं. _____
 (यदि बेकागजीकृत नहीं है)
 डीपी आईडी सं. _____
 ग्राहक आईडी सं. _____
 (यदि बेकागजीकृत है)

मैं/हम _____ राज्य के
 _____ जिले में स्थित _____
 का/के निवासी देना बैंक का/के शेयरधारक/शेयरधारकों के रूप में एतद्द्वारा _____ जिले में
 स्थित _____ का/के निवासी
 श्री/श्रीमती _____ को अथवा उसकी अनुपस्थिति में _____ राज्य के
 _____ जिले में स्थित _____ का/के निवासी
 श्री/श्रीमती _____ को देना बैंक की शनिवार, 12 जुलाई, 2008 को दोपहर 3.00 बजे सभागृह,
 सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज, जे वी पी डी स्कीम, कूपर हास्पिटल के पास, विलेपार्ले (पश्चिम) मुंबई - 400 056 में आयोजित होने वाली
 शेयरधारकों की बारहवीं वार्षिक सामान्य सभा और उसके किसी स्थगन के उपरान्त आयोजित सभा में मेरे/हमारे लिए तथा मेरी/हमारी ओर से मतदान करने के लिए
 अपना मुख्तारी नियुक्त करता हूँ/करते हैं।

इस पर _____ 2008 के _____ दिन हस्ताक्षर किये।

कृपया
 पन्द्रह पैसे
 का राजस्व
 टिकट लगायें

प्रथम नामित/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) _____

पता _____

मुख्तारी के हस्ताक्षर

मुख्तारी (प्रॉक्सी) फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुति करने हेतु अनुदेश :

- मुख्तारी लिखत तभी वैध होगा जब
 (क) व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में वह उसके द्वारा या उसके/उसकी अटर्नी द्वारा लिखित रूप में विधिवत् हस्ताक्षरित किया हो।
 (ख) संयुक्त धारकों के मामले में वह सदस्यता रजिस्टर में प्रथम नामित द्वारा अथवा लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके/उसकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो।
 (ग) किसी कंपनी निकाय के मामलों में वह उसके अधिकारी द्वारा अथवा लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो।
- ऐसे मुख्तारी लिखत, जिनपर शेयरधारकों के हस्ताक्षरों की छाप है, तभी वैध होंगे जब वे किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, एश्यूरेंस के रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार या किसी सरकारी राजपत्रित अधिकारी या देना बैंक के अधिकारी द्वारा सत्यापित हो।
- मुख्तारी के साथ
 (क) मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके तहत उस पर हस्ताक्षर किए गए हों,
 (ख) नोटरी पब्लिक अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार की एक प्रति ग्यारहवीं वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से चार दिन पहले अर्थात् मंगलवार, 8 जुलाई 2008 को कार्य समय के दौरान या उससे पहले प्रबंधक, निवेशक संपर्क केंद्र, देना बैंक, प्रधान कार्यालय, देना कार्पोरेट सेंटर, सी-10, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400 051. में जमा की जानी चाहिए।
- यदि संबद्ध मुख्तारनामा देना बैंक अथवा उसके शेयर अंतरण एजेंट के पास पहले ही पंजीकृत किया जा चुका है तो मुख्तारनामों की पंजीकरण संख्या और ऐसे पंजीकरण की तारीख का उल्लेख किया जाए।
- कोई भी मुख्तारी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक वह विधिवत् स्टाम्पित न हो।
- बैंक में जमा की गई मुख्तारी लिखत अंतिम तथा अप्रतिसंहरणीय होगी।
- दो अनुदान-ग्राहियों के पक्ष में वैकल्पिक रूप से प्रदत्त मुख्तारी लिखत के मामले में एक से अधिक फार्म का निष्पादन नहीं होगा।
- जिस शेयरधारक ने मुख्तारी लिखत निष्पादित की है वह उस लिखत से संबंधित बैठक में व्यक्तिगत रूप से मदतान करने का हकदार नहीं होगा जिससे वह लिखत संबंधित हो।
- देना बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को विधिवत् प्रतिनिधि या मुख्तारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।



Head Office: Dena Corporate Centre, C-10, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400 051.

PROXY FORM

(to be filled in and signed by the shareholder)

Regd. Folio No. _____
(If Not Dematerialised)
DP ID No. _____
Client ID No. _____
(If Dematerialised)

I/We _____ resident/s
of _____ in the district
of _____ in the state of _____ being a shareholder/shareholder(s)
of DENA BANK, Mumbai hereby appoint Shri/Smt. _____
resident of _____ in the district of _____
_____ in the state of _____ or failing him/her, Shri/Smt. _____
_____ resident of _____
in the district of _____ in the state of _____ as my/our proxy to vote
for me/us and on my/our behalf at the Twelfth Annual General Meeting of the shareholders of **DENA BANK** to be
held on the Saturday, 12th July, 2008 at 3.00 P.M. at Auditorium, Sir Sorabji Pochkhanawala Bankers Training
College, J.V.P.D. Scheme, Near Cooper Hospital, Vile Parle (West), Mumbai - 400 056, and at any adjournment
thereof.

Signed this _____ day of _____ 2008.

Please Affix
Fifteen Paise
Revenue
Stamp

Signature of first named/sole shareholder

Signature of the Proxy

NAME (IN BLOCK LETTERS) _____
ADDRESS _____

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless,
 - (a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her attorney duly authorised in writing,
 - (b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the Register or his/her attorney duly authorised in writing,
 - (c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorized in writing.
2. An instrument of Proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government gazetted officer or an Officer of Dena Bank.
3. The Proxy together with
 - (a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 - (b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited with the Manager, Dena Bank, Investor Relations Centre, Head Office: Dena Corporate Centre, C-10, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400 051 Not later than FOUR DAYS before the date of the Eleventh Annual General Meeting i.e. on or before the close of office hours on Tuesday, 8th July, 2008.
4. In case the relevant power of attorney is already registered with Dena Bank or its Share Transfer Agents, the registration number of the power of attorney and the date of registration may be mentioned.
5. No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
6. An instrument of Proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
7. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
8. The shareholder, who has executed an instrument of proxy, shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
9. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Dena Bank.